संख्या:53/2026/527/35-4-2026/35-4002(003)/59/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-987/त्व०आ०वि०यो०-आगणन /2025-26 दिनांकः 17.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-रायबरेली में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू.1923.27 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ तेइस लाख सत्ताईस हजार मात्र जी०एस०टी० 18% एवं लेबर सेस 01 % सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 965.00 लाख (रुपये नौ करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(रू. लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	विकास खण्ड-खीरों मे ग्राम पंचायत घुरई मे आधारखेडा सम्पर्क मार्ग से थुरई सम्पर्क मार्ग तक डामरीकरण कार्य	1.12	73.56	37.00	ग्रा0अभि0वि0
2	विकास खण्ड-हरचन्दपुर मे रायबरेली लखनऊ मार्ग गंगागंज से श्रीराम नगर होते हुए रमेश तिवारी के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.13	11.94	6.00	ग्रा0अभि0वि0
3	विकास खण्ड-हरचन्दपुर मे कठवारा मेन रोड हाइवे से कठवारा गांव के अंदर होते हुए नवोदय शमशेरगंज रोड तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.93	59.71	30.00	ग्रा0अभि0वि0
4	विकास खण्ड- हरचन्दपुर मे डिघौरा नहर पुल से जगतपाल के पुरवा होते हुए स्योठी रोड तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.68	37.39	19.00	ग्रा0अभि0वि0
5	विकास खण्ड- हरचन्दपुर मे पश्चिम गांव जोहवा रोड से गांव के छेददू रैदास के घर से गांव के अन्दर होते हुए पुराने पंचायत घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.86	53.00	27.00	ग्रा0अभि0वि0
6	विकास खण्ड-हरचन्दपुर मे मझिगवां राव मे एस0जे0एस0 स्कूल के सामने से राम सुमेर शुक्ला के घर होते हुए दिनेश पासवान के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.78	41.91	21.00	ग्रा0अभि0वि0
7	विकास खण्ड-हरचन्दपुर मे कठवारा हाइवे से कलुवा नाला के बीच पूरे बल होते हुए महुवारी के पुरवा गुल्लूपुर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	1.96	137.66	69.00	ग्रा0अभि0वि0
8	विकास खण्ड-सतावं मे बरउवा के पूरे बढाईन मे पक्की सडक से राधेश्याम बाबा के मन्दिर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.44	19.94	10.00	ग्रा0अभि0वि0
9	विकास खण्ड-सतावं मे शहजादपुर मे अष्ठभुजी माता मन्दिर से मोहन लाल पासवान के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.09	4.63	2.00	ग्रा0अभि0वि0
10	विकास खण्ड-सतावं मे सोइठा से अलीपुर आइमा तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	1.26	62.41	31.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

11	विकास खण्ड-राही के ग्राम सनही मे सोमनाथ पासी के घर से महारानी चबूतरा होते हुए सलोन रोड तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	1.50	**130.33**	65	ग्रा0अभि0वि0
12	सदर क्षेत्र के परशदेपुर डीह मार्ग पर पावर हाउस के पास से कृष्णा नगर एवं बस्तेपुर तिराहा तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.920	94.65	47.00	ग्रा0अभि0वि0
13	सदर क्षेत्र के घसियारी मण्डी मे लाला किराना स्टोर मोड के पास से मो0 चांद के घर तक एवं रानी के घर से मेन रोड तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.65	44.07	22.00	ग्रा0अभि0वि0
14	सदर क्षेत्र के सम्राट नगर मे मदन ठेकेदार के मकान से इतरेन्द्र साहू के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.575	59.69	30.00	ग्रा0अभि0वि0
15	सदर क्षेत्र के बाम्बे धर्मकाटा के सामने से चैबे होटल तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.74	89.51	45.00	ग्रा0अभि0वि0
16	सदर क्षेत्र के बालापुर मोड से ज्योतिबा नगर चैराहा तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.28	22.56	11.00	ग्रा0अभि0वि0
17	सदर क्षेत्र के मोहल्ला साकेत नगर मे सुमित बेकरी प्वांइट से शशिकेश सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.21	25.45	13.00	ग्रा0अभि0वि0
18	सदर क्षेत्र के मोहल्ला राम विलास नगर मे के0डी0 सिंह के घर से राकेश मिश्रा के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.28	26.85	13.00	ग्रा0अभि0वि0
19	विकास खण्ड-डलमऊ मे भगवानपुर छतम्बा सम्पर्क मार्ग से नरेन्द्रपुर पक्की रोड तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.21	9.01	5.00	ग्रा0अभि0वि0
20	विकास खण्ड-डलमऊ मे रायपुर टप्पा हवेली से पूरे बाबा से मधुकरपुर तक डामरीकरण कार्य	0.28	12.1	6.00	ग्रा0अभि0वि0
21	विकास खण्ड-डलमऊ मे सेमौरी पूरे अहिरन से सेमौरी देवी जी के मन्दिर तक डामरीकरण कार्य	0.35	24.21	12.00	ग्रा0अभि0वि0
22	विकास खण्ड-डलमऊ मे सलोन रोड से मुर्शिदाबाद सम्पर्क मार्ग तक डामरीकरण कार्य	0.39	17.84	9.00	ग्रा0अभि0वि0
23	विकास खण्ड-डलमऊ मे ष्पक्की सड़क रामनाथ रैदास के खेत से बीबीपुर नहर पुल विधायक निधि खण्ड़ंजा तक डामरीकरण कार्य	0.28	16.79	8.00	ग्रा0अभि0वि0
24	विकास खण्ड-डलमऊ मे स्व0 अनिल शुक्ला की बोरिंग से वीरेन्द्र सिंह के घर तक ग्राम पूरे मेढुलिन बरारा बुजुर्ग सीसी रोड कार्य	0.34	17.35	9.00	ग्रा0अभि0वि0
25	विकास खण्ड-डलमऊ मे पूरे लाऊ का पुरवा बरारा बुजुर्ग जंगबहादुर फौजी के घर के पास से रामशंकर गौतमके घर तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण	0.14	7.45	4.00	ग्रा0अभि0वि0
26	विकास खण्ड-सरेनी के ग्राम दनबिनाखेड़ा से खपुरा चैराहे तक डामरीकरण कार्य	1.55	88.26	44.00	ग्रा0अभि0वि0
27	विकास खण्ड- लालगंज के ग्राम यूसुफपुर से ग्राम बहादुरगंज की आबादी तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.52	34.90	17.00	ग्रा0अभि0वि0
28	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा गोपालपुर मे राजकीय पालीटेक्निक से पक्की सड़क तक डामरीकरण कार्य	0.5	31.84	16.00	ग्रा0अभि0वि0
29	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा गोपालपुर मे शेरनाथपुर मे पक्की सड़क से बाबा गंगादास आश्रम तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.2	9.46	5.00	ग्रा0अभि0वि0
30	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा पदमनपुर बिजौली रामेश्वर पाल के दरवाजे से राम अभिलाष के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.15	7.1	4.00	ग्रा0अभि0वि0
31	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा पदमनपुर बिजौली मे शिवपूजन पाण्डेय के घर से संतोष पाण्डेय के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.3	14.6	7.00	ग्रा0अभि0वि0
32	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा गोपालपुर के शिवपुर मे	0.2	8.91	4.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	पक्की सड़क से शत्रोहन सिंह (चरन गोपाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य				
33	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा फागूपुर मे पक्की सड़क से संजय नगर की तरफ इन्टरलाकिंग कार्य	0.23	12.35	6.00	ग्रा0अभि0वि0
34	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा मधुकरपुर मे काली माई के चबूतरे से राजा मौर्या के घर होते हुए राम राज के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.2	9.47	5.00	ग्रा0अभि0वि0
35	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा मऊ के पूरेकालिका मे पक्की सड़क से राम कुमार कोरी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.2	9.39	5.00	ग्रा0अभि0वि0
36	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा रायपुर टोड़ी के गोपालपुर मे जय प्रकाश के घर से नन्द कुमार के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.3	14.11	7.00	ग्रा0अभि0वि0
37	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा बरूवा मे बाबा बस्ती राम के आश्रम से रामेश्वर के टयूबवेल तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.2	8.13	4.00	ग्रा0अभि0वि0
38	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा खेतौंघन डीह सम्पर्क मार्ग से षिव पार्वती षिक्षा निकेतन जगदीषपुर तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	0.3	16.31	8.00	ग्रा0अभि0वि0
39	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा बरूवा के बरगदही मे पंचायत घर से शीला साहू के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.25	11.79	6.00	ग्रा0अभि0वि0
40	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा कपूरपुर मे राजेश सिंह के दरवाजे से मुरली के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.14	8.05	4.00	ग्रा0अभि0वि0
41	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा लखापुर के डिहवा मे संदीप सिंह के खेत से दीपक के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.23	13.22	7.00	ग्रा0अभि0वि0
42	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा परैया नमकसार मे रामबरन गोस्वामी के घर से परैया कछुवाहन मार्ग तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.48	22.42	11.00	ग्रा0अभि0वि0
43	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा निनावां मे प्राइमरी स्कूल से पूरे मेहरबान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.3	21.55	11.00	ग्रा0अभि0वि0
44	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा काजीपुर तेलियानी से नकदिया तक खडण्जा निर्माण कार्य	0.5	12.48	6.00	ग्रा0अभि0वि0
45	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा भेलिया मे सम्पर्क मार्ग से पूरेराजा तक खडण्जा निर्माण कार्य	0.98	29.09	15.00	ग्रा0अभि0वि0
46	विकास खण्ड- छतोह के छतोह गांधी मार्ग से शिव विद्या मंदिर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.23	12.92	6.00	ग्रा0अभि0वि0
47	विकास खण्ड- छतोह के ग्राम सभा बेवल मे सनहिया मार्ग से बभनपुर सम्पर्क मार्ग तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.77	48.9	24.00	ग्रा0अभि0वि0
48	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा नूररूदीनपुर मे अभिषेश सरोज के घर से अजय सरोज के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.09	3.95	2.00	ग्रा0अभि0वि0
49	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा गोपालपुर अननंतपुर मे एनएच-31 से छोटे लाल के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.26	11.76	6.00	ग्रा0अभि0वि0
50	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा बघौला के तरकोलवा मे पक्की सड़क से रमेश के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.2	9.07	5.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

51	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा राजापुर चकबीबी मे रामलखन के घर से राजेश के घर होते हुए पृथ्वी पाल के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.3	14.01	7.00	ग्रा0अभि0वि0
52	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा प्यारेपुर मे जौदहा रोड से प्यारेपुर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.27	13.78	7.00	ग्रा0अभि0वि0
53	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा अतागंज उसरी मे शिवकुमार के घर से रवि शंकर के खेत तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.25	13.01	7.00	ग्रा0अभि0वि0
54	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा पृथ्वीपुर मे लखनलाल की बाग से आदर्श तालाब शिव मंदिर होते हूए पी0डब्लू डी0 रोड तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.31	15.1	8.00	ग्रा0अभि0वि0
55	विकास खण्ड- सलोन के सिरसिरा ग्राम सभा के इच्छागोड़ा मे रामफेर पासी के घर से श्रीराम के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.14	7.2	4.00	ग्रा0अभि0वि0
56	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा सूची के मिया का पुरवा मे बराडीह रोड लखन के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.28	13.13	7.00	ग्रा0अभि0वि0
57	विकास खण्ड- सलोन के पारी ग्राम सभा के पूरे प्रेम सिह मे अमर सिंह के दरवाजे से अकबाल सिंह के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.25	12.63	6.00	ग्रा0अभि0वि0
58	विकास खण्ड- सलोन के हरपुर हल्ला मे अर्जुन के दरवाजे से राम निवाज मौर्या के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.12	6.28	3.00	ग्रा0अभि0वि0
59	विकास खण्ड- सलोन के ग्रामसभा बिसैया के पूरेसाहू मे भगत के दरवाजे से कमलेश्वर के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.19	8.7	4.00	ग्रा0अभि0वि0
60	विकास खण्ड- सलोन के ग्राम सभा खैरहनी पहाड़गढ के पूरे लालजी का पुरवा मे रतीपाल के दरवाजे से शारदा नहर की पटरी तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.4	20.22	10.00	ग्रा0अभि0वि0
61	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा बिरनावां के पूरे मान्धाता से कपूरपुर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.6	30	15.00	ग्रा0अभि0वि0
62	विकास खण्ड- शिवगढ़ के शिवगढ़ नेरथुवा रोड से मजरे से चितईखेड़ा मजरे दहिगवां तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	1.00	65.21	33.00	ग्रा0अभि0वि0
63	विकास खण्ड- महाराजगंज के कडरिया रोड (मेहदी बीर बाबा से गंगापुर कुटी तक पक्की सडक तक डामरीकरण कार्य	0.71	37.06	19.00	ग्रा0अभि0वि0
64	विकास खण्ड- सतावं ग्राम सभा हाजीपुर मे मोती का पुरवा मे राम मिलन के घर से राम आसरे के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.30	15.62	8.00	ग्रा0अभि0वि0
65	विकास खण्ड- सतावं मे सतावं ब्लाक मे ग्राम सभा सुल्तानपुर खेड़ा के ग्राम सभा पूरे लालता मे राम हजारी के घर से राम सुखद यादव के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.30	13.97	7.00	ग्रा0अभि0वि0
66	विकास खण्ड- सतावं मे ग्राम सभा सुल्तानपुर खेड़ा के ग्राम सभा पूरे के केसरी मे मेन रोड से पुलिया के पास सुरेष लोदी के घर के तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.30	13.94	7.00	ग्रा0अभि0वि0
67	विकास खण्ड- हरचन्दपुर मे ग्राम सभा टेरा बरौली मे ग्राम कंजहा मे शिव प्रसाद के घर से टेरा सम्पर्क मार्ग तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.15	15.43	8.00	ग्रा0अभि0वि0
68	विकास खण्ड- सतावं मे ग्राम सभा ठकुराइन पो0 सुल्तानपुर खेड़ा मे राम दयाल पासी के घर से श्री राम यादव के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	0.30	15.42	8.00	ग्रा0अभि0वि0
69	विकास खण्ड- लालगंज मे ग्राम सभा सैम्बसी के ग्राम नन्दाखेड़ा	0.37	22.52	11.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	सम्पर्क मार्ग से उमेश पासवान के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य				
	योग:	**28.80**	**1923.27**	**965.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 965.00 लाख (रूपये नौ करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:53/2026/527(1)/35-4-2025/35-4002(003)/59/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रायबरेली।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।